Vol III Issue IX June 2014

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA
UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.net

Review Of Research
Vol. 3 | Issue. 9 | June. 2014
Impact Factor : 2.1002 (UIF)
ISSN:-2249-894X

Available online at www.ror.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

महिला आरक्षण और राजनीतिक सहभागिता

मनीता चौकसे

अतिथि विद्वान,एस,एस,एल महाविद्यालय,छिंदवाड़ा, म.प्र

सारांश :-

महिलाओं को पुरूष के सामान राजनीतिक अधिकार एवं राजनीतिक सहभागिता का मुद्धा,आज के विश्व का और आधुनिक विकसित सभ्यता का एक लोकप्रिय चर्चित एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। यद्यपि महिलाओं को सत्ता के स्वरूप निर्धारण तथा उसमें भाग लेने के लिये कानूनी एवं संवैधानिक समानता तथा स्वतंत्रता प्राप्त है। किन्तु फिर भी व्यवहारिक रूप में देश की आधी आबादी महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी का अवसर नही मिल पा रहा है।

प्रस्तावना :

प्रतिनिधि संस्थाओं में अल्मत होने के कारण महिलाएँ निर्णय प्रक्रिया में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाती है यानी महिलाओं के हस्तक्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिये उनका राजनीतिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। जिसका सामान्य आशय है कि व्यक्ति के पास निर्णय लेने और प्रभावित करने की क्षमता आ चुकी है अर्थात् सशक्तिकरण व्यक्ति को हस्तक्षेप करने ,रणनीति निर्धारित करने और उसके मुताबिक कदम उठाने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह एक स्पष्ट मान्यता है कि आधुनिक राज्य में उसके द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के बेहद निजी पहलुओं तक को प्रभावित करती है। इसलिये यह बेहद जरूरी है कि व्यक्ति के पास इन नितियों को प्रभावित करने के लिए कुछ क्षमता अवश्य होनी चाहिये,लेकिन भारतीय प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में सार्वजनिक नितियों को मूलतःपूरे समुदाय/समूह की क्षमता ही निर्धारित करती है। ऐसे में एक समूह के रूप में महिलाओं का राजनीतिक सबलीकरण आवश्यक हो जाता है। ताकि वे भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम हो सकें।[1]

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का सकारात्मक मूल्यांकन इस रूप में स्पष्ट है कि इससे महिलाओं का चहुँमुखी विकास होगा। उनकी प्रस्थिति,नेतृत्व एवं व्यक्तित्व इत्यादि पहलुओं में परिवर्तन होगा। जो महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है। भारत सरकार ने राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा को क्रियान्वित करने की दृष्टि से 12 सितम्बर 1996 को भारत की संसद में '' महिला आरक्षण विधेयक '' प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में 81 वाँ संशोधन विधेयक 1996 में पर्याप्त चर्चा का विषय बना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239,330,331 में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की जानी है। लेकिन विभिन्न दलों के विरोध के कारण यह विधेयक आम सहमति प्राप्त करने के नाम पर लम्बित हो गया, परन्तु 14 दिसबंर 1999 को अन्ततः साकार के कुछ विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बावजूद महिलाओं को 33 प्रतिशत देने से संबंधित 85 वां सविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो सका इसी कडी में 8 मार्च 2010 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पास हो गया लेकिन यह विधेयक आज तक लोकसभा में पास नहीं हो पाया है,यह विधेयक लोकसभा में ही विचारधीन है।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र संसद, विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान का अध्ययन करना है।

Title: "*महिला आरक्षण और राजनीतिक सहभागिता*" ,
Source: Review of Research [2249-894X] *मनीता चौकसे* **yr:2014 | vol:3 | iss:9**

आकँड़ों के स्त्रोत– प्रस्तुत शोध अध्ययन वस्तुतः महिला आरक्षण, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता,महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इसके प्राथमिक स्त्रोत प्रतियोगिता दर्पण,प्रतियोगिता निर्देशिका,इड़िया टूडे,तथा इंटरनेट से 1996,1999,2010 में संसद में प्रस्तावित विधेयक के मूल स्वरूप से लिया गया है।

द्वितीयक संमकों का संकलन अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तको,शोध पत्रिकाओं ,सरकारी दस्तावेजों प्रतिवेदनों आदि द्वारा किया गया जिससे प्राप्त तथ्यों द्वारा निष्कर्षो और सुझावो ंको विश्वसनीयता प्रदान की गई ।

अध्ययन का उद्देश्य–स्त्री का मानव की सृष्टि में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है।[2] इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्ययन के लिये निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया।

1.इस शोध पत्र के माध्यम से महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता ,और महिला सशक्तिकरण के मानको को तय किया जा सकेगा।
2.महिला राजनीतिक नेतृत्व कैसे उपर उठे इसके रास्ते को निर्धारित किया जायेगा।
3.राजनीतिक सहभागिता का सशक्तिकरण से सहसंबंध को ज्ञात किया जा सकेगा।

शोध प्रविधि– प्रस्तूत शोधपत्र में ग्रंथालय अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। महिला आरक्षण के कार्यवाही का विश्लेषण के लिये द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण सारांश

1. किसी भी सभ्य समाज की स्थिति वहाँ की महिलाओं से स्पष्ट होती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनको प्राप्त अधिकार ,शिक्षा,राजनीतिक सहभागिता एवं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि ऐसे विषय है जिनसे उनके स्तर को समझा जा सकता है लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को नेतृत्व जैसे कार्य का संचालन करना बहुत कठिन है इन परिस्थितियों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिये उन्हे अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह अवसर आरक्षण के माध्यम से ही दिया जा सकता है।[3]
2. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से महिला सशक्तिकरण भी होगा। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय है कि महिला निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर दया व करूणा की पात्र के दायरे से निकलकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने हुनर एवं आत्मविश्वास का विकास कर समाज के उत्थान में सक्रिय योगदान दे सके । महिला सशक्तिरण को एक ऐसी प्रकिया के रूप में भी देखा जा सकता है। जिसमें महिलायें भौतिक ,मानवीय व बौद्धिक संसाधनों पर अधिक नियत्रंण व उन पर निर्णय प्रक्रिया में उचित हिस्सेदारी प्राप्त करती है।[4]
3. महिलाओं की राजनीतिक सक्रिता वर्तमान समय की एक नितान्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परन्तु शहरी क्षेत्रो की महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता से ही स्थिति में परिवर्तन नहीं आ सकता,क्योंकि जब तक ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्रो की महिलायें भी राष्ट्रीय मुख्यधारा से सक्रिय रूप में नहीं जुड सकेगी,तब तक स्थितियों में वांछित परिवर्तन आना संभव नहीं होगा। अतः ऐसी महिलाओं की सक्रियता में वद्धि करने के लिये और प्राविधान किए जाने व जो प्राविधान किये गये है। उन्हे सुचारू व प्रभावशाली रूप से लागू करना भी उतना ही आवश्यक होगा।
4.महिलाओं के लिये आरक्षण को जरूरी माना गया है। क्योंकि यद्यपि सिद्धान्तः सविंधान के द्वारा महिलाओं व पुरूषों को समान अधिकार दिये है व महिलाओं को किसी भी प्रकार के भेदभाव को दण्डनीय अपराध माना गया हैं परन्तु आज भी महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में कमजोर व दोयम दर्जे की है। निर्णय प्रक्रिया में आज भी बहुसख्यंक महिलाओं की कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। अतः उनके द्वारा अधिकारों का प्रयोग करने व उनके हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिये आरक्षण के माध्यम से उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को आवश्यक माना गया है।[6]
5. आज महिलायें अपने निर्णय स्वयं लेने लगी है उनमें ज्ञान का संचार भी होने लगा है। महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर काम करना शुरू कर दिया है। आरक्षण ने धीरे–धीरे अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता लाकर उनकी सक्रियता में वृद्धि करने में सहायता की है तथा समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत बनाने में योगदान दिया है। इस दृष्टिकोण से समाज के उपेक्षित वर्ग में सम्मिलित महिलाओं के लिये आरक्षण समानता एवं सक्रियता एक औचित्यपूर्ण साधन बना है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। वहां उनकी स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं को आगे आने का अवसर भी मिला है। महिला आरक्षण ने एक मंच की तरह कार्य करते हुए उनको अपने दम पर कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल करने के लिये एक विशेष भावना जाग्रत की है।[7]
6. महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम लोकसभा चुनाव में मात्र 14 ही महिलाओं के निर्वाचित होने पर कहा था कि मुझे अफसोस है कि इतनी कम महिलाऐं चुनाव जीती है। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। हमारे कानून हमारे समाज में सब जगह पुरूषों का वर्चस्व हैं और हम सबका इसको लेकर एक तरफा रवैया है। लेकिन अंत में महिलायें ही भारत के भविष्य की निर्मात्री होगी। इस दृष्टिकोण से देखा जाये ंतो महिलाओं के राजनीतिक संस्थानों में प्रवेश व भागीदारी को बढाने के लियें आरक्षण एक साधन के रूप में कार्य कर रहा है। वहां वर्तमान में

महिलाओं की सक्रियता व जागरूकता को बढानें के लिये एक यन्त्र के रूप में आरक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। चूंकी भारतीय समाज आज भी एक रूढीवादी समाज है। जिसमें परिवर्तन धीरे–धीरे हो रहा है इसी परिवर्तन के क्रम में महिलाओं का स्थानीय स्वशासन के लिये निर्मित राजनीतिक संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से प्रवेश इसका प्रथम सोपान है। चूँकि आरक्षण का लाभ उठाकर महिलायें स्थानीय स्वशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में सफल हो रही व उनके इन संस्थाओं में प्रवेश से प्राथमिकतायें भी बदल रही है। अतः इस दृष्टिकोण से महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता बढाने के लिये आरक्षण भी एक सहायक तत्व है।[8]

7. महिला आरक्षण विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक है। जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। संविधान के अनु.14 नागरिकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव या जोर जबरदस्ती का विरोध करता है लेकिन साथ ही उचित सीमाओं के भीतर नागरिको के विभिन्न समूहों और वर्गो में वर्गीकृत करने की छूट भी देता है। अनु.15(3) घोषणा करता है कि इस अनुच्छेद की विषम वस्तु में ऐसा कुछ भी नही है जो राज्य की महिलाओं व बच्चों के लिये विशेष प्रावधान करने के लिये रोकता है। इस प्रकार यहां संविधान में लिंग के आधार पर सकारात्मक भेदभाव करने के लिये समुचित जनादेश दिया गया है। अनु.16(2) धर्म,नस्ल या लिंग के आधार पर सार्वजनिक कार्यो में भेदभाव का निषेध करता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सब कुछ समान होने की स्थिति में महिलाओं को सार्वजनिक कार्यो की कुछ श्रेणीयों के लिये प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिये संविधान की दृष्टि से महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण के लिये ठोस मामला बनता है।[9]

8.केन्द्रीय प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण पर बहस न केवल भारतीय राजनीति के इतिहास मे बल्कि महिला आदोंलन में भी एक विशिष्ट अवसर पर सामने आई। नये सामाजिक आदोलनों में विशेषकर महिला आदोंलनों के उभार ने ऐतिहासिक रूप में प्रभावशाली राजनीतिक संस्थानों के अर्न्तगत उच्च जातियों और वर्गो के प्रभाव को चुनौती दी है। इसके साथ ही यह आदोंलन मुख्य धारा की राजनीति में गहरी पेठ नही बना सकें है। और यह राजनीति इन आदोलनों द्वारा उठाये गये मुद्दों के प्रति अभी भी असंवेदनशील बनी हुई है।[10]

9.भारतीय समाज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी के लिये किसी आंतरिक प्रावधान के न होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है। मगर महिला आदोंलन जैसे सामाजिक परिवर्तन की कल्पना करता है। उनकी दिशा में बढने के लिये आरक्षण का प्रावधान कितना सहायक होगा। इसके बारे में कुछ शंकायें भी है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये आरक्षण के परिणाम निश्चित सकारात्मक है ऐसा नही कहा जा सकता है।[11]

10. आरक्षण की मांग के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि उच्च जातियों की विशिष्टता और प्रभुत्व बनायें रखने में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के अधीनीकरण का बहुत अधिक महत्व रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिये सकारात्मक कदम निःसन्देह पुरूष एवं उच्च जाति वर्चस्व को कुदं करने में योगदान देगें। इसलिये सभी वर्गो में महिला आरक्षण न केवल ज्यादा लोकतांत्रिक होगा बल्कि स्वयं समुदायों के भीतर लोकतांत्रिक की प्रक्रिया को भी जन्म देगा।[12]

निष्कर्ष

1.राजनीतिक दलो की संकीर्णता एवं अदूरदर्शिता के कारण महिलाओं को समुचित टिकट नही दिया जाता है।
2.महिलाओं की आधी आबादी हाने के नाते नीति निर्धारण में उन्हे समुचित भूमिका निभाना आवश्यक है।
3.महिलाओं के विरूद्ध नाना प्रकार के अपराध एवं हिंसात्मक प्रताड़नायें घर से सडक तक होती रहती है। उन्हे विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का शिकार होना पड़ता है तो प्रतिनिधित्व से उन्हें आत्मसम्मान मिलेगा।
4.प्रतिनिधित्व से लड़कियों के समक्ष एक नया रोल मॉडल पेश हो सकेगा और इसका सकारात्मक प्रभाव उनके सामाजीकरण पर पडेगा। यानी गर्भ में ही बच्ची के भ्रूणों की हत्या ,बालिका हत्या,दहेज हत्या आदि पर अप्रत्यक्षण अंकुश लगेगा।
5.गत दशको में संसद एवं राज्यों के विधानमडलों में आपराधिक छवि वाले पुरूषों की संख्या बढी है। जो सदन में भी अशोभनीय एवं असंसदीय व्यवहार करतें हैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व से इस कुप्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
6.चुनाव लड़ना काफी खर्चिला होता है जिसके कारण स्वत्रंत उम्मीदवार के रूप में महिलायें खर्च वहन नही कर सकती । आरक्षण रहने से राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों का खर्च वहन करेगे।
7.जब संविधान में 73वें तथा 74वें सशोधन करके महिलाओं को क्रमशः पचांयती राज संस्थाओं और नगर निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिया जा चुका हे और इसका महिलाओं के विकास में सकारात्मक प्रभाव पडा है तो इसका विस्तार राज्य स्तर व केन्द्र स्तर पर करने से महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है।
8.आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक और सांस्कृतिक पटल पर महिलाओं की सामान भागीदारी न केवल महिलाओं के लिये बल्कि देश के विकास के लिये भी जरूरी है।

सुझाव

1.महिला आरक्षण विधेयक को अतिशीघ्र पारित कराने के लिये महिला जनप्रतिनिधियों को सीनेट की सौजन्यता के सिद्धान्त को आत्मार्पित करना होगा। महिला समूहो संगठनों को स्वामी विवेकानंद के इस कथन को अपना आदर्श वाक्य बनाना होगा। कि जागों उठो और तब तक मत बैठो जब तक तुम्हे तुम्हारा लक्ष्य न प्राप्त हो जायें तथा जागरूक महिला को सभी लोकतांत्रिक तरीको को अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्रय सक्रिय होना होगा।
2.महिलाओं को राजनीति में आने की मौजूदा व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बजाये यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलो की होनी चाहिये। कि वह महिलाओं को राजनीति में आने का मौका दे। महिलायें भी दबे कुचले समूह का हिस्सा है। इस बात को मानकर इसकी क्षतिपूर्ती कानून व आरक्षण देकर की जानी चाहिऐ।
3.प्रत्येक मान्यता प्राप्त पार्टी कम से कम एक तिहाई सीटों के लिये महिला उम्मीदवारों को नामांकित करे और उन महिला उम्मीदवारों के चयन में महिला वर्किंग कमेटी सदस्यों की प्रमुख भूमिका हों।
4.चुनावों के लिये टिकटो के बटवारें में उन महिलाओं को वरीयता दी जाये जो जमीनी स्तर पर ठोस राजनीतिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हो।
5.चुनाव सुधारों के जरियें पार्टी के भीतर सक्रिय भाई भतीजावाद ,भ्रष्टाचार और बाहुबल को समाप्त करके जेंड़र सेवदनशीलता सुनिश्चित की जाये ।

सन्दर्भ

1. मिश्रा,डॉ राजेंन्द्र कुमार ''भारतीय व्यवस्थापिका में महिला आरक्षण :मुद्दे,राजनीतिक एवं समाधान'' मध्यभारती ,अंक 62 पेज 143.144
2.अरोडा एस.सी,सैनी सुरेश कुमार''महिला सशक्तिकरण की अवधारणा'' राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परंपरा,जुलाई दिंसबर 2008 पेज 31
3.सिंह डॉ. ध्रुव भूषण ''महिलायें एवं राजनैतिक सहभागिता'' राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परंपरा,जनवरी–जून2010 पेज 111
4.वही पृ .80
5.नेगी डॉ. राकेश सिंह,''महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन '' राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परंपरा,जुलाई दिंसबर 2011 पेज 21
6.वही पृ .28
7.वही पृ .28
8.वही पृ .28
9.सिंह राजबाला ,सिंह मधुबाला,''भारत में महिलायें ''पेज 138
10.वही पृ 138
11.वही पृ 138
12.वही पृ .140
13.मोकटा ममता,''कब सुलझेगा महिला आरक्षण का मसला''लोक प्रशासन जनवरी –जून 2010 पृ 87
14.मिश्रा,डॉ राजेंन्द्र कुमार ''भारतीय व्यवस्थापिका में महिला आरक्षण :मुद्दे ,राजनीतिक एवं समाधान'' मध्यभारती ,अंक 62 पेज 149
15.सिंह राजबाला ,सिंह मधुबाला,''भारत में महिलायें ''पेज 140

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.net